राजस्थान सरकार
कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, अजमेर

स्टाम्प वेण्डर का अनुज्ञा-पत्र लेने हेतु राजस्थान स्टाम्प नियम 24 के अनुसार प्रार्थी को निम्न शर्ते पूरी करनी होगी :-

1. प्रार्थी की आयु 21 वर्ष से अधिक हो।
2. प्रार्थी सैकण्डरी परीक्षा या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होगा।
3. प्रार्थी का चरित्र उत्तम होगा।

प्रार्थना-पत्र सादे कागज पर टंकित करवाकर मय आयु, शैक्षणिक योग्यता व चरित्र संबंधी प्रमाण-पत्रों के सम्बन्धित उप महानिरीक्षक कार्यालयो एवम् जयपुर (शहर) के लिये भी उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक वृत-जयपुर-प्रथम कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जा सकते हैं, अथवा डाक से भिजवाए जा सकते है।

प्राप्त प्रार्थना-पत्रों को इन कार्यालयों में विभाग के आदेश पत्र क्रमांक एफ.4(300)(9)स्टा/वैण्डर/10/2595-2606 दिनांक 14.07.10 से प्रावधित रजिस्टर में अंकन किया जायेगा।

प्रार्थना-पत्र यथाविधि पूर्ण होने की तिथि से उसकी वरियता मानी जायेगी व वरियतानुसार व स्थान रिक्तता के अनुसार अनुज्ञा-पत्र जारी किए जायेंगे। जो प्रार्थना-पत्र अपूर्ण होंगे, उन्हें रजिस्टर में दर्ज अवश्य किया जायेगा किन्तु उनकी वरियता की गणना उन प्रार्थना-पत्रों के पूर्ण होने की दिनांक से ही की जायेगी। अपूर्ण प्रार्थना-पत्रों की कमी पूर्ति हेतु उप महानिरीक्षक/कार्यालयो से संबंधित प्रार्थियो को पत्र से सूचित किया जायेगा।

ई-मित्र/सीएससी कियोस्क धारक सक्षम अधिकारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति (VLEs) को नियमानुसार सभी पात्रता पूरी करने पर मुद्रांक विक्रेता का अनुज्ञा-पत्र भी जारी किये जा रहे है।

राजस्थान स्टाम्प अधिनियम 23 के तहत् देय कमीशन

अधिसूचना क्रमांकः एफ.4(4)वित्त/कर/2015-233 दिनांक 9.3.2015 के तहत् स्टाम्प वेण्डर द्वारा एवं लिखित के लिये अधिकतम 1.00 लाख रूपये के स्टाम्प विक्रय किये जाने की सीमा को घटाकर 50,000/- किया गया है। राजस्थान स्टाम्प नियम 2004 के नियम 29 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया गया है।

29 बट्टा :- प्रत्येक अनुज्ञप्त विक्रेता या पदेन विक्रेता को जो नकद धन के संदाय पर सरकार से न्यायिक या न्यायिकेत्तर स्टाम्प क्रय करता है, निम्नलिखित बट्टा अनुज्ञात किया जायेगा।

आपत्ति :-

क्र.सं.	स्टाम्प अंकित मूल्य		बट्टा
1-	1 से 400 रूपये	-	2 प्रतिशत
2-	401 से अधिक रूपये	-	1 प्रतिशत

FORM"A"

(See Rule 24)

(Court fee label to Rs. Five to be affixed)

Form of application for grant of renewal or a license to sell Stamps under the Rajasthan Stamp Act,1998

1.	Applicants Name in full and residential address	: :	....
2.	Date of birth	:	....
3.	Place of vend where the applicant desires to vend stamps		....
	Place	:	....
	Town	:	....
	Tehsil	:	....
	District	:	....
4.	Educational Qualification	:	....
5	Extent of amount which the application invest in purchasing stamps from treasury.	:	....
6.	Present Occupation, if any	:	....
7	Whether application wants to work as stamp vendor on part time basic or full time basis		....
8	Name and address or relative, if any practing as a Document Writer or stamp Vendor (stating relationship) on the date of giving the application		....
9	Whether Convicted of any Criminal Offence or removed Govt./ Private service(give Particulars)		....
10	Other relavant Information, If any		....

Note :-

1. Affix court fee label of Rs Five.
2. Attech original copy of the treasury challan in support of having credited the prescribed fee.
3. In case of renewal of licence the previous licence should be enclosed with the application.
4. Attach true copies of certificates in support of date of birth and the last examination passed.

I declare that I have carefully read the Rajasthan stamps Rule,2004 and terms and conditions or licence in From B and I agree to abide by them.

Place ....

Date .... Signature of applicant